

दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

- :: डिक््री आदेश :: -

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुवरु हमारे व हाजरी श्री ओमप्रकाश गोदारा ता वादी मिनजानिव मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 16 हाजरी श्री रामप्रकाश वेन्दा व प्रतिवादी 17 पैरोकार उपस्थित मिनजानिव मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि -
यत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं वंटवारा अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा आवंलियासर तहसील जायल के विवादग्रस्त नं. 63, 70, 508/115 में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार के मध्य तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक 4187 दिनांक 26.10.2021 के वंटवारा प्रस्ताव (पीडी) अनुसार स्वीकार जाता है जो निर्णय का एक भाग रहेगा, तथा निम्न प्रकार अन्तिम डिक््री किया जाता

वादी चुनाराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 63 में से 1.3760 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार, खेत खसरा नंबर 70 में से 0.0809 हैक्टेयर संलग्न नजरी नकशानुसार रामलाल से दक्षिणी मार्ग पर व खसरा नंबर 70 में से 0.03237 हैक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार दक्षिणी पश्चिमी कोना में रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 1 धन्नाराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 70 में से 1.3517 हैक्टेयर व खसरा नंबर 63 में से 0.2104 हेक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 15 विष्णुराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 70 में से 0.1619 हैक्टेयर माफिक संलग्न नजरीनकशानुसार उत्तरी पश्चिमी कोना में सड़क पर रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 2 छोटूराम के हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 70 में से 1.6996 हैक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 63 में से 0.2104 हेक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 6 व 7 रामलाल व बाबुलाल के संयुक्त हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 70 में से 0.1619 हैक्टेयर व खसरा नंबर 70 में से 0.0810 हेक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 508/115 में से 1.4731 हैक्टेयर पश्चिमी भाग नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 11 से 13 ओमप्रकाश, जगदीश, मगी के संयुक्त हक वंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 70 में से 0.2427 हैक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार व खसरा नंबर 508/115 में से 1.4731 हेक्टेयर संलग्न नजरीनकशानुसार मध्य भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

7
राजस्थान काश्तकारी
(राज.डी.जे.) जायल

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 मोहनी पत्नी कुम्भाराम व भंवरलाल पुत्र कुम्भाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 508/115 में से 1.4730 हैक्टेयर सलग्न नजरीनकशानुसार पूर्वी भाग रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 16 मोहनी पत्नी भंवरलाल के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा आवंलियासर का खेत खसरा नंबर 70 में से 0.0810 हैक्टेयर नजरीनकशानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 3, 8, 9,10,14 के हक बंट में कोई भूमि नहीं रखे जाने से इन प्रतिवादीगणों का नियमानुसार स्टाम्प शुल्क जमा कराया जाना उचित है।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2021 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुदा से जारी कर जलास सुनाया गया।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल-(नागौर)

ज - मुबलिग - बाबत - खर्चा इस मुकदमे के नय व भारह -
लाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व
हर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
मुदायराह			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वकालतनामा			वजह सबूत नहनताना वकील		
स्टाम्प वजह सबूत			खर्चा गवाहान		
नहनताना वकील			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत हुराय हुक्मनामा		
मुत् इजराज हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मुत्फरिक			दर0 तलबाना		
			मीजान		

इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया
या हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिये।

(रवीन्द्र कुमार)

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)